आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

28-10-2013

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–26 / 12–13

हरेन्द्र नारायण शाही

बनाम

बिहार सरकार

अपीलकर्ता श्री हरेन्द्र नारायण शाही विक्रेता जनवितरण प्रणाली ग्राम पंचयत राज इंगलिशिया अंचल बगहा–1 ने अनुमंडल ज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के दिनांक 08.01.2013 के उस आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है जिसके द्वारा अभिलेख संख्या–01 / 2013 में अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या–96 / 2007 को रद्द कर दिया गया है। अपील आवेदन प्राप्ति के पश्चात निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी जो प्राप्त हो गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बगहा–1 से विक्रेता के प्रतिष्ठान की जांच करायी। जांचोपरांत प्रतिष्ठान में निम्नांकित अनियमितता पाई गयी :'–

(1) विक्रेता दुकान पर उपस्थित थें परंतु सूचनापट्ट पर भण्डार प्रदर्शन अंकित नही था।

(2) अन्त्योदय योजना के तहत माह अगस्त–2012 के चावल का दिनांक 04.12.2012 को 11.55 क्विंटल एवं दिनांक 06.12.2012 को 7.70 क्विंटल गेहूँ का उठाव किया गया है। जिसे दिनांक 08.12.2012 एवं 0912.2012 कुल–02 दिनों के अन्दर बिना सत्यापन के वितरित कर दिया गया है।

(3) बी0पी0एल0 योजना के तहत माह अगस्त–2012 के

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

कूपन उपलब्ध था और शेष 15 व्यक्तियों का कूपन या तो खो गया था या जल गया था, लेकिन वी0पी0एल0 सूची में उनका नाम पहले से दर्ज था। अतः पंचायत समिति सदस्य के देख रेख में खाद्यान्न का वितरण वी0पी0एल0 सूची धारियों के बीच वितरण किया गया।

(4) जिन लोगों ने खाद्यान्न न होने की शिकायत की थी उन लोगो ने भी लिखित रूप में खाद्यान्न पाने का कागज बनाया है।

(5) अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उपभोक्ताओं ने लिखकर दिया है कि वे राजनिति बहकावे में आकर ब्यान दिया था। उनकी कोई शिकायत विक्रेता से नही है।

अंत में अपीलकर्ता का कहना है कि उन्होने जानबुझकर कोई गलती नही किया है। जनता एवं उपभोक्ता के लाभ हेतु पंचायत समिति सदस्य, संरपच एवं उप मुखिया के निदेश में कानूनी तौर पर जनहित में खाद्यान्न का वितरण किया है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप काफी गम्भीर है, और इसके संबधं में उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एवं अपील आवेदन में दिये गये तर्क सही प्रतीत नही होते है। क्योंकि उन्होने अपने दावे के सम्पुष्टि में सिर्फ ब्यान दिया है, लेकिन उसके सम्पुष्टि में कोई प्रमाण नही दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बगहा–1 से अपीलकर्ता के प्रतिष्ठान के जांच करने के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा दिनांक 15.12.2012 को क्षेत्रभ्रमण के क्रम में अपीलकर्ता की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अपीलकर्ता दुकान से

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अनुपस्थित पाये गये एवं दुकान भी बंद पाया गया। पुछे जाने पर उनकी पत्नी एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के खाद्यान्न का वितरण कर चुके है, जबकि निर्धारित तिथि के पूर्व उनके द्वारा बिना अनुमति के खाद्यान्न का वितरण कर कूपन कार्यालय में जमा नही किया गया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि गलत मंशा एवं कालाबाजारी के नियत से ऐसा किया गया था। इसके संबधं में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उसी समय 24 घंटे के अन्दर विक्रेता को अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु विक्रेता की पत्नी को पत्र तामिल कराया गया, परंतु विक्रेता द्वारा दिनांक 16.12.2012 तक स्पष्टीकरण नही दिया गया। तदोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बगहा–1 से विक्रेता की प्रतिष्ठान की जांच कराया।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने अपने कार्यालय के ज्ञापांक 561/आ0, दिनांक 19.12.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की थी। विक्रेता ने स्पष्टीकरण दिया कि पेट में दर्द रहने के कारण वे अपना इलाज कराने हेतु बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में गये थे जिसकी सूचना सूचनापट्ट पर अंकित कर दिया गया था। 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण देने के संबधं में कहा गया है कि वे अपनी पत्नी से नही मिले थे जिस कारण समय पर जवाब नही दे सकें।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बगहा–1 द्वारा पायी गयी अनियमितता के संबधं में अपीलकर्ता द्वारा कहा गया है कि उन्होनें सूचनापट्ट पर सामान शून्य लिखा था जो खली (चौक) द्वारा साफ नही लिखने के कारण स्पष्ट नही दिखायी दे रहा था। विभागीय प्रावधान के अनुसार विशेष परिस्थिति को छोड़कर माह के 28, 29, 30 तारीख का खाद्यान्न का वितरण किया जाना है जिसका अनुपालन विक्रेता द्वारा नही किया गया है। विक्रेता

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

द्वारा कूपन जल जाने या खो जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा लिखा गया है कि ऐसी परिस्थिति में द्वितीय प्रति कूपन निर्गत किया जाना है, जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में दी जाएगी लेकिन विक्रेता द्वारा ऐसा न कर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है।

जहां तक अपीलकर्त्ता का कहना है कि उपभोक्ताओं ने लिख कर दिया है कि वे राजनीति बहकावे में आकर ब्यान दिया था, कि उनकी कोई शिकायत अपीलकर्त्ता से नही है। घटना के बाद में दिये गये इस तरह का ब्यान का Evidentiary value नगण्य है।

अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा विक्रेता के द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में सही उत्तर न पाकर सार्वजनिक वि0प्र0(नियमावली) आदेश 2001 के कंडिका–7(i) (6), 7(i)(e) एवं 7(ii) में निहित प्रावधानों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्त्ता के अनुज्ञाप्ति को रदद् कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश में त्रुटि न पाकर उसे कायम रखते हुए अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संषोधित।

28/10

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

28/10

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया